न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 31 / 2019

प्रार्थीः—

पेंपसिंह पुत्र श्री बाबुसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीः—

1. ग्राम पंचायत कांकाणी, जरिये सरपंच, तहसील लूणी।
2. ग्राम पंचायत शिकारपुरा, जरिये सरपंच, तहसील लूणी।
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री मोडसिंह, जाति राजपुत, निवासी ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पटटा विलेख संख्या 01 जो मिसल 172 / 1990—91 में ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या तीन के नाम दिनांक 07.01.1991 को जारी किया गया।

उपस्थितिः—

1. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री मोतीसिंह राजपुरोहित (अप्रार्थी संख्या तीन)।

—आदेश— दिनांक : 28.01.2021

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी संख्या तीन के हक में पटटा संख्या 01 जो मिसल संख्या 172 / 1990—91 के तहत ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा पटटा जारी करने का निर्णय पारित किया जाकर दिनांक 07.01.1991 को पटटा जारी गया। उपरोक्त पटटा की भूमि ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर पाली रोड़ के पूर्व में खसरा संख्या 578 व 581 की राजकीय सिवाय चक गैर मुमकिन मगरा की भूमि हैं तथा इन दोनो खसरों के बीच में खसरा संख्या 450 गैर मुमकिन सड़क स्थित हैं जो कि जोधपुर पाली रोड़ से मिलती हैं की भूमि हैं। उपरोक्त तीनो खसरान की भूमि जोधपुर पाली सड़के के समानान्तर लगते हुए पूर्व की तरफ स्थित हैं एवं खसरा संख्या 578 व 581 की भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन मगरा दर्ज हैं तथा खसरा संख्या 450 की भूमि गैर मुमकिन रास्ता [illegible] तथा राजस्व नक्शें में भी इसी अनुसार तरमीम सुदा हैं। खसरा संख्या 578 की वर्तमान में जोधपुर विकास

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested

प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई पटटा जारी करने के ग्राम पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं । ग्राम पंचायत की कार्यवाही एवं जारी किये गये पटटे से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पेश की गयी ।

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत शिकारपुरा से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या तीन की और से अधिवक्ता श्री मोतीसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत शिकारपुरा ने पत्र क्रमांक 07 दिनांक 25.07.2019 से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी किये गये उक्त पट्‌टो से संबंधित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं एवं इस रिकॉर्ड के सम्बन्ध में पुलिस थाना लूणी में रिकॉर्ड गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सूनी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या तीन के हक में जारी पटटा संख्या 01 जो मिसल संख्या 172/1990–91 के तहत ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा पटटा जारी करने का निर्णय पारित किया गया। उपरोक्त पटटा की भूमि ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर पाली रोड़ के पूर्व में खसरा संख्या 578 व 581 की राजकीय सिवाय चक गैर मुमकिन मगरा की भूमि हैं तथा इन दोनो खसरों के बीच में खसरा संख्या 450 गैर मुमकिन सड़क स्थित हैं जो कि जोधपुर पाली रोड़ से मिलती हैं। उपरोक्त तीनो खसरान की भूमि जोधपुर पाली सड़के के समानान्तर लगते हुए पूर्व की तरफ स्थित हैं एवं खसरा संख्या 578 व 581 की भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन मगरा दर्ज हैं तथा खसरा संख्या 450 की भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हैं तथा राजस्व नक्शें में भी इसी अनुसार तरमीम सुदा हैं । खसरा संख्या 578 की भूमि वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई पटटा जारी करने के ग्राम पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार से ग्राम पंचायत को गैर मुमकिन सिवाय चक एवं गैर मुमकिन सड़क की भूमि को किसी को आवंटित करने का क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध पटटा जारी कर भारी भूल की हैं जो कि खारिज किये जाने योग्य हैं । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आरजेटी 2017(3) पेज 1995 राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेन्ट घेवरचन्द व अन्य बनाम स्टेट व अन्य प्रस्तुत किया ।

अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि निगरानीकार का कथन हैं कि गैर निगरानीक[illegible] से पटटा बनवाया हैं उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested

तथ्य गलत हैं। गैर निगरानीकार के हक में जिस भूमि का पटटा विलेख जारी किया गया हैं वह मौके पर रास्ते की भूमि नहीं हैं बल्कि उस पर गैरनिगरानीकार का कब्जा हैं तथा उक्त पटटा विलेख रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज हैं जिसकी सुनवाई करने के कोई अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों व आधारों पर उक्त निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं जो कि खारिज किये जाने योग्य हैं । अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न नजीरें प्रस्तुत की गयी ।

01. एआईआर 2016 एससी पेज 4995 सत्यपाल बनाम सरकार
02. 2011(4) सीसीसी पेज 86 (एससी) लक्ष्मी बनाम सरकार
03. डब्ल्यूसीपी 2973/16 ए.एच.सी. कुसुमलता बनाम सरकार
04. सीडब्ल्यू 5648/04 रामचन्द्र बनाम सरकार
05. 2016(1) सीसीसी पेज 476 ए.एच.सी राजनाथसिंह बनाम डी.वाई. डाईरेक्टर
06. 2016(1) सीसीसी पेज 504
07. एसएडब्ल्यू 899/2017 सरकार बनाम रामचन्द्र

हमने पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से मुख्य अभिलेख तलब करने पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत शिकारपुरा ने पत्र कमांक 07 दिनांक 25.07.2019 से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी किये गये उक्त पटटे से संबंधित मूल रिकॉर्ड गुम हो जाने के कारण उपलबध नहीं करा सकता एवं इस रिकॉर्ड के सम्बन्ध में पुलिस थाना लूणी में रिकॉर्ड गुमशुदगी की दर्ज करा दी गयी हैं। पत्रावली के संलग्न मौका फर्द दिनांक 31.12.2018 की प्रमाणित प्रति के कम संख्या दो अनुसार मौके पर उक्त दोनो खसरा संख्या 578, व 581 एवं गैर मुमकिन रास्ता के खसरा संख्या 450 पर नरेन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह राजपुत निवासी कांकाणी का कब्जा हैं। प्रार्थी नरेन्द्रसिंह द्वारा मौके पर उपलब्ध करवाये गये कागजात अनुसार उनका यहां पुराना कब्जा है। उनके नाम से ग्राम पंचायत कोर्ट शिकारपुरा द्वारा एक पटटा जारी किया हुआ हैं जिसके मिसल संख्या 172/1990—91 दिनांक 07.06.90 द्वारा पटटा जारी किया हुआ हैं जिनका दिनांक 19.12.2013 को रजिस्ट्रेशन किया हुआ हैं इससे आगे पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ हैं कि खसरा संख्या 578 एवं 581 के बीच खसरा संख्या 450 गैर मुमकिन रास्ता चलता था जो मौके पर पूर्णतया बंद हैं तथा वर्तमान में उस जगह पर चारदीवारी बनी हुई हैं तथा चार दीवारी के अन्दर निर्माण कार्य वर्तमान में चालू हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी संख्या एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested

के हक में जो पटटा विलेख संख्या 01 जारी किया हुआ हैं वह खसरा संख्या 578, 581 गैर मुमकिन राजकीय सिवाय चक एवं खसरा संख्या 450 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का जारी किया गया हैं जो कि आबादी की भूमि का नहीं हैं। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या तीन को पटटा जारी कर विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हैं । अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने जो नजीरे प्रस्तुत की हैं वे अलग अलग मामलों के संबंध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर हैं जो कि इस मामले में चस्पा नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में तथाकथित पटटा विलेख आबादी की भूमि का नहीं होकर बल्कि गैर मुमकिन रास्ते एवं राजकीय सिवाय चक की भूमि का होने से अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी किये गये पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

—आदेश—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी नरेन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के हक में ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी पटटा विलेख संख्या 01 मिसल संख्या 172/1990—91 दिनांक 07.01.1991 को एतद् निरस्त किया जाता हैं।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:22 IST
Reason: SelfAttested